AMG-II (Non-PSU)/निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या/22/2020-21

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता (दक्षिण), उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून** द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता (दक्षिण), उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून** के माह **04/2019** से माह **03/2020** तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री नित्यानन्द सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री भारत सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अरुण कुमार शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक **07.09.2020** से **18.09.2020** तक श्री आर.के.जोगी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के आंशिक पर्यवेक्षण में संपादित की गई।

भाग-1

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राजा रंजन राव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री अरिंदम चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री जोगिंदर सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **08.07.2019** से **17.07.2019** तक श्री संजय कुमार वर्मा, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में संपादित की गई थी। जिसमें माह **04/2016** से **03/2019** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह **04/2019** से **03/2020** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- इकाई द्वारा अपने क्षेत्र (कैंटोनमेंट क्षेत्र को छोडकर) में शुद्ध पेयजल आपूर्ति/संचालन तथा सीवर व्यवस्था सुचारू रूप से दिये जाने कार्य किया जाता है तथा तत्सम्बंधी अनुरक्षण किया जाता है। इकाई द्वारा दिलाराम, धर्मपुर तथा झण्डा जोन के अन्तर्गत कार्य किया जाता है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः-

(`लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/ आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/ आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2017-18	48.511	494.700	1016.250	1032.220	32.541	2920.170	3051.460	363.410
2018-19	32.541	363.410	1077.990	1101.600	8.931	3037.580	2919.450	481.540
2019-20	8.931	481.540	1297.600	1247.730	58.801	4023.770	3251.824	1253.486

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

(` लाख में)

योजना का नाम	2017-18			2018-19			2019-20		
	प्रारंभिक अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रारंभिक अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रारंभिक अवशेष	प्राप्ति	व्यय
इकाई को लेखापरीक्षा अवधि के दौरान केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।									

(i) इकाई एक कार्यदायी संस्था है जिसके द्वारा पेयजल योजनाओं तथा सीवर लाईन से संबन्धित अनुरक्षण कार्य किए जाते हैं। इकाई को बजट का आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को शामिल करते हुए इकाई **"ब"** श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निमन्वत है:- **सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता (अध्यक्ष)→ मुख्य महाप्रबन्धक →महाप्रबन्धक→अधीक्षण अभियन्ता→अधिशासी अभियन्ता→सहायक अभियन्ता→अपर सहायक अभियन्ता→अवर अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान।**

(ii) **लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः-** लेखापरीक्षा में कार्यालय द्वारा जल संभरण की योजनायें बनाना, उनकी प्रोन्नति करना, जांच के उपरांत शुद्ध पेयजल वितरण करना तथा सीवर व्यवस्था का शोधन एवं उन्नति द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत (कैंटोनमेंट क्षेत्र को छोडकर) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता (दक्षिण), उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **02/2020 (आय)** एवं **10/2019 (व्यय)** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। राज्य पोषित योजनाओं का विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय के आधार पर किया गया।

(स) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (डी. पी. सी. एक्ट 1971) की धारा 14 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

भाग II-'ब'

प्रस्तर 1 : नगर निगम द्वारा निर्धारित भवन के वार्षिक मूल्यांकन (Annual Rental Value) के आधार पर बिलिंग न किया जाना तथा जल मूल्य तथा सीवर शुल्क के रूप में ` 1375.96 लाख की वसूली लम्बित रहना।

उत्तरांचल शासन, पेयजल अनुभाग की अधिसूचना संख्या 2231/नौ-2 (12 अधि.)/2001 दिनांक 07 नवम्बर 2002 के अनुसार उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 संशोधनों के साथ उत्तरांचल (अब उत्तराखण्ड) राज्य में लागू है जिसे उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002 कहा गया है।

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 के अध्याय 6 की धारा 59 एवं 60 के अनुसार जल संस्थान अपने क्षेत्र के भीतर जल मूल्य तथा सीवर शुल्क वसूल करता है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 44 के अनुसार जल संस्थान अपने कर और प्रभार की दरें समय-समय पर, इस प्रकार निर्धारित तथा समायोजित करेगा जिससे कि वह अपने कार्य संचालन, अनुरक्षण और ऋण सम्बन्धी खर्च को, यथा साध्य पूरा कर सके और जहां व्यवहार्य हो, अपनी स्थिर आस्तियों पर लाभ प्राप्त कर सके। जल संस्थान एक स्वायत्तशासी संस्था है तथा अपने अधिष्ठान व्यय जिसमें सेवानिवृत्तिक लाभ भी शामिल हैं, की प्रतिपूर्ति अपनी स्वजनित आय से करता है।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (दक्षिण), उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के लेखा-अभिलेखों की जांच (सितम्बर 2020) में पाया गया कि इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान निम्नानुसार जलमूल्य तथा सीवर शुल्क की वसूली की गई:-

तालिका 1: जल मूल्य

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	भवन का प्रकार	पूर्व अवशेष	चालू माँग	कुल माँग	वसूली/समायोजन	गतशेष
2017-18	शासकीय/अर्धशासकीय	39.05	32.61	71.66	31.90	39.76
	अन्य	916.74	1502.96	2419.70	1586.30	833.40
	कुल	**955.79**	**1535.57**	**2491.36**	**1618.20 (65%)**	**873.16**
2018-19	शासकीय/अर्धशासकीय	39.76	38.13	77.89	33.53	44.36
	अन्य	833.40	1678.91	2512.31	1574.95	937.36
	कुल	**873.16**	**1717.04**	**2590.20**	**1608.48 (62%)**	**981.72**
2019-20	शासकीय/अर्धशासकीय	44.36	41.20	85.56	11.62	73.93
	अन्य	937.36	1805.03	2742.39	1604.60	1137.80
	कुल	**981.72**	**1846.23**	**2827.95**	**1616.22 (57%)**	**1211.73**

<u>तालिका 2: सीवर शुल्क</u>

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	भवन का प्रकार	पूर्व अवशेष	चालू माँग	कुल माँग	वसूली/समायोजन	गतशेष
2017-18	शासकीय/अर्धशासकीय	1.08	3.59	4.67	3.55	1.12
	अन्य	102.44	116.62	219.06	114.11	104.95
	कुल	**103.52**	**120.21**	**223.73**	**117.66 (53%)**	**106.07**
2018-19	शासकीय/अर्धशासकीय	1.12	4.06	5.17	2.44	2.73
	अन्य	104.95	169.36	274.32	144.80	129.52
	कुल	**106.07**	**173.42**	**279.49**	**147.24 (53%)**	**132.25**
2019-20	शासकीय/अर्धशासकीय	2.73	4.40	7.13	0.68	6.44
	अन्य	129.52	158.18	287.70	129.92	157.79
	कुल	**132.25**	**162.58**	**294.83**	**130.60 (44%)**	**164.23**

उपरोक्त तालिकाओं से स्पष्ट है कि:

(i) इकाई द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान जल मूल्य के रूप में **57** से **65** प्रतिशत तथा सीवर शुल्क के रूप में मात्र **44** से **53** प्रतिशत की ही वसूली की गई थी तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 की समाप्ति पर जल मूल्य एवं सीवर शुल्क के रूप में कुल ` **1375.96 लाख** की वसूली किया जाना बाकी था।

(ii) जलमूल्य तथा सीवर शुल्क में वसूली बढ़ने की बजाय वर्ष दर वर्ष कम होती जा रही थी जोकि इकाई द्वारा वसूली के प्रति बरती जा रही उदासीनता को दर्शाता है।

(iii) वित्तीय वर्ष 2019-20 की समाप्ति पर शासकीय/अर्धशासकीय भवनों पर जलमूल्य के रूप में ` **73.93 लाख** तथा सीवर शुल्क के रूप में ` **6.44 लाख** की धनराशि वसूली हेतु बकाया थी जिसे लेखापरीक्षा तिथि (सितम्बर 2020) तक संबन्धित विभागों द्वारा जमा नहीं कराया गया था।

आगे जांच में पाया गया कि वर्तमान में 2013 के Average Assesment Value के आधार पर ही जल मूल्य तथा सीवर शुल्क की बिलिंग की जा रही थी जबकि उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना दिनांक 30.01.2013 के अनुसार घरेलू नगरीय क्षेत्र की जलापूर्ति/सीवर शुल्क की बिलिंग नगर निगम द्वारा निर्धारित भवन के वार्षिक मूल्यांकन (Annual Rental Value) के आधार की जानी थी।

उपरोक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि कई सम्पत्तियों पर वर्षों से देयक अवशेष चले आ रहे हैं जिसकी वसूली की कार्यवाही प्रगति पर है तथा खंडहर भवनों, त्रुटिपूर्ण मांग के संशोधन की कार्यवाही की जा रही है। समय-समय पर आर.सी., नोटिस के माध्यम से एवं बकायेदारों के संयोजन विच्छेदन की कार्यवाही भी की जाती है। इकाई द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान विभिन्न स्थानों पर 32 कैम्प लगाकर 12 लाख की धनराशि की वसूली की गई।

नगर निगम द्वारा निर्धारित भवन के नवीनतम वार्षिक मूल्यांकन (Annual Rental Value) के आधार पर बिलिंग न किए जाने के सम्बंध में पूछे जाने पर इकाई ने बताया कि नगर निगम द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र का नवीनतम वार्षिक मूल्यांकन नहीं किया गया है जिसके कारण पूर्व की दरों पर ही बिलिंग की जा रही है तथा नवीनतम वार्षिक मूल्यांकन प्राप्त होने पर ही उन्हें लागू किया जाना संभव होगा।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा जलमूल्य तथा सीवर शुल्क की वसूली हेतु किए जा रहे इतने प्रयासों के बाद भी वसूली बढ़ने की बजाय वर्ष दर वर्ष कम होती जा रही थी। नगर निगम द्वारा निर्धारित भवन के नवीनतम वार्षिक मूल्यांकन (Annual Rental Value) के आधार पर बिलिंग न किए जाने के कारण भी इकाई की स्वजनित आय में वृद्धि नहीं हो रही थी। भवनों के नवीनतम वार्षिक मूल्यांकन (Annual Rental Value) प्राप्त किए जाने हेतु इकाई द्वारा नगर निगम के साथ कोई पत्राचार नहीं किया गया था जिससे यह स्पष्ट नहीं था कि नगर निगम द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र का वार्षिक मूल्यांकन कर लिया गया है अथवा नहीं। इकाई द्वारा जल संस्थान की स्वजनित आय की कमी के कारण जल संस्थान की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही थी जोकि जल संस्थान के हित में नहीं है तथा इसके कारण इकाई को भविष्य में अपने अधिष्ठान व्यय जिसमें सेवानिवृत्तिक लाभ भी शामिल हैं, की प्रतिपूर्ति हेतु कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा यह संस्तुति करता है कि इकाई द्वारा अपने क्षेत्रांतर्गत भवनों के नवीनतम वार्षिक मूल्यांकन (Annual Rental Value) प्राप्त कर उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना दिनांक 30.01.2013 के अनुसार घरेलू नगरीय क्षेत्र की जलापूर्ति/सीवर शुल्क की बिलिंग की जाये ताकि इकाई की स्वजनित आय में वृद्धि हो सके। इसके अतिरिक्त इकाई अपनी स्वजनित आय की अधिक वसूली करना सुनिश्चित करे ताकि भविष्य में उसे किसी प्रकार की आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े।

अतः इकाई द्वारा अपनी स्वजनित आय की कम वसूली किए जाने तथा भवनों के नवीनतम वार्षिक मूल्यांकन (Annual Rental Value) के आधार पर जल मूल्य / सीवर शुल्क की बिलिंग न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II-'ब'

प्रस्तर 2 : लेबर सेस की धनराशि `2.47 लाख की कटौती न किया जाना।

भवन एवं अन्य सन्निनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 1996 में पंजीकृत श्रमिकों के कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन व्यवस्था हेतु निर्माण अधिष्ठानों द्वारा अपने निर्माण कार्य की लागत का 1% उपकर के रूप में कल्याण बोर्ड की निधि में जमा किए जाने का प्रावधान है।

लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 हेतु 1% लेबर सेस को शामिल करते हुए एस.ओ.आर. (SOR) की दरें जारी की गई थीं। इकाई द्वारा उपरोक्त एस.ओ.आर. (SOR) की दरों के आधार पर कराये गये निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतानों से 1% लेबर सेस की कटौती करके राजकोष के संबन्धित लेखाशीर्ष (0230) में जमा कराई जानी थी।

(a) कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (दक्षिण), उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून द्वारा सम्पादित कराये गये कार्यों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान संलग्नक के अनुसार **45** कार्यों के सापेक्ष **`1,10,84,711/-** की धनराशि का भुगतान किया गया था जिसके सापेक्ष **`1,10,849/-(संलग्नक-1)** के लेबर सेस की कटौती करके राजकोष के संबन्धित लेखाशीर्ष (0230) में जमा कराई जानी थी परन्तु लेखापरीक्षा तिथि (सितम्बर 2020) तक संलग्नक में लिखित कार्यों के सापेक्ष किए गए भुगतानों से लेबर सेस की कोई भी कटौती नहीं की गई थी जिसके कारण संबन्धित ठेकेदारों को **`1,10,849/-** का अधिक भुगतान भुगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण लेबर सेस की कटौती नहीं की जा सकी थी। इकाई ने आगे बताया कि ठेकेदारों को अधिक भुगतान की गई 1% लेबर सेस की धनराशि **`1,10,849/-** को वसूलने हेतु संबन्धित ठेकेदारों को नोटिस जारी किया जायेगा तथा धनराशि वसूलने के पश्चात उक्त धनराशि को राजकोष में जमा करा दिया जायेगा।

(b) कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (दक्षिण), उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के अभिलेखों से ज्ञात हुआ था कि उत्तराखण्ड अर्बन सैक्टर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम (यूयूएसडीआईपी) द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) के लोन संख्या – 2410 IND के अंतर्गत "Procurement of 68 MLD capacity Sewage Treatment Plant on Design, Supply, Installation, Operation and Maintenance Basis using Sequencing Batch Reactor (SBR) Process at Dehradun" कार्य हेतु ठेकेदार M/s Gharpure Engineering & Construction (P) Ltd के साथ रुपये 5742.00 लाख के अनुबंध संख्या – 02/ WWM01D/ UUSDIP/ NCB/ 05 का गठन दिनाँक – 23.03.2010 को किया गया था। उक्त अनुबंध के अनुसार, एसटीपी का निर्माण कार्य पूर्ण किए जाने के पश्चात अगले पाँच वर्षों तक एसटीपी के संचालन एवं अनुरक्षण का कार्य ठेकेदार द्वारा किया जाना था जिस हेतु ठेकेदार को रुपये 217.30 लाख का भुगतान प्रविधानित था।

उक्त अनुबंध के अंतर्गत एसटीपी के निर्माण का कार्य ठेकेदार द्वारा दिनाँक – 06.06.2015 को पूर्ण कर लिया गया था तथा एसटीपी के सफल परीक्षण चरण (Trial run) के पश्चात दिनाँक- 11.10.2015 से एसटीपी के संचालन एवं अनुरक्षण का कार्य ठेकेदार द्वारा संपादित किया जा रहा था। यूयूएसडीआईपी द्वारा उक्त एसटीपी को दिनाँक – 15.04.2017 को उत्तराखण्ड जल संस्थान को हस्तगत कर दिया गया था तथा दिनाँक – 16.04.2017 से लेखापरीक्षा तिथि तक (माह – 09/2020) ठेकेदार को एसटीपी के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु भुगतान उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा ही किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि खण्ड द्वारा ठेकेदार के देयकों से 1 प्रतिशत श्रम उपकर (Labour Cess) की कटौती नहीं की जा रही थी जिसके परिणामस्वरूप माह – 04/2017 से 05/2020 तक कुल रुपये 1.37 **(संलग्नक-2)** लाख कम श्रम उपकर की कटौती की गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया था कि श्रम उपकर के संबंध में विभाग द्वारा बताया गया था कि उक्त अनुबंध का गठन किए जाने के समय अर्थात वर्ष – 2010 में श्रम उपकर का प्राविधान न होने के कारण ठेकेदार के देयकों से श्रम उपकर की कटौती नहीं की गयी है। यह भी कि लेखापरीक्षा की आपत्ति के क्रम में श्रम उपकर की कटौती किए जाने हेतु ठेकेदार को पक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु सूचित किया जाएगा जिसके उपरान्त भुगतान के संबंध में पुनरीक्षण कर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। खंड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि श्रम उपकर के संबंध में अपनी कर देयता को स्वयं ही स्वीकार किया गया था।

अत: धनराशि `2.47 लाख के श्रम उपकर की कम कटौती किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

अनुलग्नक – 1

क्रम सं.	माह	अनुबंध में प्रविधानित भुगतान	खण्ड द्वारा किया गया भुगतान		कुल भुगतान	अतिरिक्त भुगतान
			मूल	जीएसटी		
1	04/2017	162500	162500	0	162500	0
2	05/2017	325000	325000	0	325000	0
3	06/2017	325000	325000	0	325000	0
4	07/2017	325000	325000	39000	364000	39000
5	08/2017	325000	325000	39000	364000	39000
6	09/2017	325000	325000	39000	364000	39000
7	10/2017	350000	350000	42000	392000	42000
8	11/2017	350000	350000	42000	392000	42000
9	12/2017	350000	350000	42000	392000	42000
10	01/2018	350000	350000	42000	392000	42000
11	02/2018	350000	350000	42000	392000	42000
12	03/2018	350000	350000	42000	392000	42000
13	04/2018	350000	350000	42000	392000	42000
14	05/2018	350000	350000	42000	392000	42000
15	06/2018	350000	350000	42000	392000	42000
16	07/2018	350000	350000	42000	392000	42000
17	08/2018	350000	350000	42000	392000	42000
18	09/2018	350000	350000	42000	392000	42000
19	10/2018	375000	375000	45000	420000	45000
20	11/2018	375000	375000	45000	420000	45000
21	12/2018	375000	375000	45000	420000	45000
22	01/2019	375000	375000	45000	420000	45000
23	02/2019	375000	375000	45000	420000	45000
24	03/2019	375000	375000	45000	420000	45000
25	04/2019	375000	375000	45000	420000	45000
26	05/2019	375000	375000	45000	420000	45000
27	06/2019	375000	375000	45000	420000	45000
28	07/2019	375000	375000	45000	420000	45000
29	08/2019	375000	375000	45000	420000	45000
30	09/2019	375000	375000	45000	420000	45000
31	10/2019	400000	400000	48000	448000	48000
32	11/2019	400000	400000	48000	448000	48000
33	12/2019	400000	400000	48000	448000	48000
34	01/2020	400000	400000	48000	448000	48000
35	02/2020	400000	400000	48000	448000	48000
36	03/2020	400000	400000	48000	448000	48000
37	04/2020	400000	400000	48000	448000	48000
38	05/2020	400000	400000	48000	448000	48000
Total		**13687500**	**13687500**	**1545000**	**15232500**	**1545000**

लेबर सेस *-रूपये 13687500 का 1% = रूपये 1.368 लाख या 1.37 लाख*

भाग – II(ब)

प्रस्तर3: शासकीय धन रुपये 45.15 लाख को विगत 4 वर्षों से अवरुद्ध रखना।

वित्तीय हस्त-पुस्तिका भाग – V के बिन्दु – 369-D(f) के अनुसार

"In the case of both conditional as well as unconditional grants it is the duty of the administrative department or officer sanctioning a grant to see that the instructions mentioned below are carefully observed before any grant is sanctioned; ***(f) every grant made for a specific object shall be subject to the implied conditions; (i) that the grant shall be spent upon the object within a reasonable time if no time limit has been laid down in the sanction; and (ii) that any portion of the amount which is not ultimately required for expenditure upon the object shall be duly surrendered. The expression 'within a reasonable time' shall ordinarily mean 'one year from the date of the issue of the letter sanctioning the grant.' Thus grants may be sanctioned to meet requirements for a year even extending beyond the financial year, but only so much of the grant shall be paid during the financial year as can be spent during that year. The amount remaining unspent in such cases need not be refunded at the close of the financial year. However, immediately on expiry of the period of one year from the date of sanction any unspent balance should be duly surrendered to Government;"***

उपरोक्त के अतिरिक्त, उत्तराखण्ड शासन की बजट नियमावली के बिन्दु – 92(v) के अनुसार

"Responsibilities of Controlling Officers – The duties and responsibilities of a controlling officer briefly are: (v) – ***To surrender appropriations or portions thereof which are not likely to be required during the year as soon as lapses or savings are forseen."***

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (दक्षिण), उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून की लेखापरीक्षा (माह – 09/2020) के दौरान अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात हुआ था कि माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या – 13/2014 के अंतर्गत "जनपद देहरादून के मोहिनी रोड में नलकूप निर्माण एवं क्षतिग्रस्त पाईप लाइनों को बदलने का कार्य" हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा रुपये 162.15 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनाँक – 23.09.2015 को प्रदान की गयी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया था कि उक्त कार्य के सम्पादन हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा विभाग को रुपये 20.15 लाख एवं रुपये 25.00 लाख की धनराशि क्रमश: शासनादेश दिनाँक – 23.09.2015 एवं 05.07.2016 के माध्यम अवमुक्त की गयी थी। परंतु लेखापरीक्षा तिथि तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका था जिसके परिणामस्वरूप रुपये 45.15 लाख की धनराशि विगत 4 वर्षों से खंड के पास अप्रयुक्त

पड़ी थी। वित्तीय नियमों के अनुसार उक्त धनराशि रूपये 45.15 लाख को शासन को समर्पित किया जाना चाहिए था जो कि नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा बताया गया था कि लेखापरीक्षा तिथि तक भी उक्त कार्य हेतु भूमि प्राप्त नहीं की जा सकी थी तथा भूमि उपलब्ध किए जाने हेतु माननीय विधायक कार्यालय एवं नगर निगम कार्यालय से पत्राचार किया जा रहा था। यह भी कि यदि मार्च 2021 तक पर्याप्त भूमि एवं धनराशि उपलब्ध नहीं हो पायी तो मुख्यालय के माध्यम से धनराशि वापस कर दी जाएगी। इकाई का उत्तर स्वत: ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है।

अत: विभाग द्वारा शासकीय धन रुपये 45.15 लाख को विगत 4 वर्षों से अवरुद्ध रखने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निमन्वत है:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ ' प्रस्तर	भाग-II 'ब ' प्रस्तर	STAN प्रस्तर संख्या
31/2010-11	1,2,3	1	NIL
61/2014-15	NIL	2	NIL
51/2016-17	1	1,2	NIL
33/2019-20	1	1,2,3,4	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई द्वारा विगत प्रस्तरों की अनुपालन आख्या इकाई के पत्रांक संख्या 918/जलकल/ऑडिट-देहरादून/2020-21 दिनांकित 26.08.2020 के माध्यम से प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित की जा चुकी है।				

भाग – IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग – V
आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता (दक्षिण), उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

(i)
(ii) } **शून्य**

2. सतत अनियमितताएँ**:** **शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रं.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
01.	श्री मनीष सेमवाल	अधिशासी अभियन्ता	10.08.17 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियन्ता (दक्षिण), उत्तराखण्ड जल संस्थान, 32, राजपुर रोड, देहरादून-248001** को पत्रांक संख्या AMG-II (Non-PSUs)/ले.प./न.ले.प.टि./दल सं.-05/2020-21/05 दिनांकित 22.09.2020 के द्वारा इस आशय से प्रेषित कर दी गई है कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप-महालेखाकार/AMG-II (Non-PSUs), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, द्वितीय तल, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, आई.पी.ई., देहरादून -248195** को प्रेषित कर दी जाये ।

व. लेखापरीक्षा अधिकारी
AMG-II (Non-PSU)